न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 352 सन 2017

अनवान :–

1. शिशपाल पुत्र श्योदतराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. श्योदतराम पुत्र रामजस जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. बलराम 3 दलीप 4 हरदत 5. प्रभुदयाल पि. श्योदतराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. रेशमी 7 विधा 8. गुडडी पुत्रीयान श्योदतराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व ननोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री गांगीलाल दहडु अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही गौजा मौजा सोनडी के खाता संख्या 565/546 के खसरा न0 600/2 की 2.5290हैक एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 566/547 के खसरा न0 589/2 की 1.4920हैक एवं खाता संख्या 567/548 के खसरा न0 558 की 2.65560हैक खसरा न0 599 की 6.2850हैक खसरा न0 600/3 की 1.4920हैक कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामजस पुत्र गिरधारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज रामजस पुत्र गिरधारी के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज दादा रामजस पुत्र गिरधारी के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई थी जिसकी आय से अन्य भूमि खरीद की गई थी पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद करने के कारण वह भी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। ईकवाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहरा में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मौजा सोनडी के खाता संख्या 565/546 के खसरा न0 600/2 की 2.5290हैक एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 566/547 के खसरा न0 589/2 की 1.4920हैक एवं खाता संख्या 567/548 के खसरा न0 558 की 2.65560हैक खसरा न0 599 की 6.2850हैक खसरा न0 600/3 की 1.4920हैक कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामजस पुत्र गिरधारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज रामजस पुत्र गिरधारी के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने पैतृक सम्पति की आय से भी भूमि खरीद की गई है पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज दादा रामजस पुत्र गिरधारी के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन/ पैतृक सम्पति की आय खरीद की गई भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि भी पैतृक सम्पति होगी एवं कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मौजा सोनडी के खाता संख्या 565/546 के खसरा न0 600/2 की 2.5290हैक एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 566/547 के खसरा न0 589/2 की 1.4920हैक एवं खाता संख्या 567/548 के खसरा न0 558 की 2.65560हैक खसरा न0 599 की 6.2850हैक खसरा न0 600/3 की 1.4920हैक कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी भू0प्रबन्ध के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 600/35.18 बीघा भूमि रामजस वल्द गिरधारी के नाम दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामजस वल्द गिरधारी के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने पैतृक सम्पति की आये से रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 588/2 ,598 की भूमि खरीद की गई थी जो न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार पैतृक सम्पति में आती है इसलिये विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद की गई है वह भी पैतृक सम्पति होना स्वीकार किया है एवं अपने कथनों के समर्थन मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 एवं आर.आर. सी वर्ष 1991 पेज 540 प्रस्तुत वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया की पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि भी पैतृक सम्पति है जिसमें भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,6 ता 8 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होनें अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सोनडी के खाता संख्या 565/546 की कुल 2.5290हैक्टे भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 566/547 की कुल 1.4920हैक्टे भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है व खाता संख्या 567/548 की कुल 10.4330हैक्टे भूमि में सयुवत तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 541 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (न्यायिक)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्रीमती श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. शिशपाल पुत्र श्योदतराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 श्योदतराम पुत्र रामजस जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. बलराम 3 दलीप 4 हरदत 5. प्रभुदयाल पि. श्योदतराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. रेशमी 7 विधा 8. गुडडी पुत्रीयान श्योदतराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व ननोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 257 सन 2019 निर्णय दिनांक– 10/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि सोनडी के खाता संख्या 565/546 की कुल 2.5290हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 566/547 की कुल 1.4920हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार है व खाता संख्या 567/548 की कुल 10.4330हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 541 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner